पत्र संख्या- कमि0वा0क0(निरीक्षण अनुभाग)/ 2017-18/ **1718090/** 973 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,मुख्यालय, लखनऊ

(निरीक्षण अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ :::: फरवरी, 13, :::2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

जैसा कि आप अवगत हैं कि वाणिज्य कर विभाग में करनिर्धारण की कार्यवाही एक महत्वपूर्ण विधिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरुप ऐसी मॉग का सृजन होता है जो या तो व्यापारी द्वारा रिटर्न के साथ स्वीकृत कर के रुप में पूरी तरह जमा नहीं की गयी हो अथवा करनिर्धारण के पश्चात अतिरिक्त देयता के संदर्भ में सृजित की गयी हो। विगत अवधि में यह अनुभव हुआ है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा पारित किये जाने वाले करनिर्धारण आदेशों में गुणात्मक दृष्टि से काफी सुधार अपेक्षित है।

अत: उक्त के दृष्टिगत यह निर्देश दिए जाते हैं कि संभाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर द्वारा डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी स्तर के प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों में से 5-5 आदेशों के सम्बन्ध में समीक्षा टिप्पणी प्रत्येक त्रैमास में की जाएगी जिसकी सूचना नियमित रुप से मुख्यालय प्रेषित की जाएगी तथा प्रकाश में आयी विधिक विसंगतियों तथा प्रतिकूल तथ्यों के सम्बन्ध में विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी।

उक्त कार्यवाही हेतु पत्रावलियों का चयन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जाए :-

- अधिक्षेत्र के ऐसे बड़े निर्माताओं के प्रकरण जिनमें ऐसे व्यापारियों के लेखे स्वीकार किए गए हों ;
- यदि अधिक्षेत्र में एक्सपोर्टर कार्यरत हैं, तो ऐसे बड़े एक्सपोर्टर के प्रकरण जिनमें अधिक राशि का Provisional Refund लिया गया हो ;
- ऐसे व्यापारियों के प्रकरण जिनमें लेखों को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी हो परन्तु जिनमें संबंधित व्यापारी द्वारा अपील दाखिल नहीं की गयी हो ;
- ऐसे व्यापारियों के प्रकरण जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की अत्यधिक राशि क्लेम तथा अग्रेत्तर वर्ष के लिये अग्रेनीत (Carried Forward) की गयी हो।
- ऐसे व्यापारियों के प्रकरण जिनमें कोई विधिक बिन्दु अथवा तथ्यात्मक विवेचना का बिन्दु निहित हो जिसके सम्बन्ध में समीक्षा राजस्व की दृष्टि से उपयोगी हो सके।

- ऐसे प्रकरण जिसमें रिटर्न के साथ क्लेम की गयी आई0टी0सी0 से अधिक आई0टी0सी0 करनिर्धारण के समय क्लेम की गई अथवा स्वीकृत की गई हो।
- यदि अधिक्षेत्र में भट्टे कार्यरत हैं तथा वे समाधान योजना से बाहर हैं, तो ऐसे बड़े भट्ठों के करनिर्धारण से सम्बन्धित मामले।
- ऐसे व्यापारियों के प्रकरण जिनमें केन्द्रीय बिक्री के फार्मों यथा फार्म -C, F, E-1, E-2 से सम्बन्धित अधिक टर्नओवर की बिक्री आच्छादित हो।
- प्रत्येक जोन के लिये चिन्हित संवेदनशील वस्तुओं से सम्बन्धित बड़े प्रकरण, जिनमें व्यापारियों के लेखे स्वीकार किये गये हों।

ज्वाइंट कमिश्नर(कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही संबंधित जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा निष्पादित की जाएगी । इसके अतिरिक्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों के सम्बन्ध में संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा उक्तानुसार की गयी समीक्षा टिप्पणियों का अनुश्रवण भी करेंगे तथा स्वविवेक से अपने स्तर से भी इन कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा पारित कम से कम 5-5 आदेशों के सम्बन्ध में समीक्षा का कार्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निष्पादित करेंगे।

प्रत्येक त्रैमास में उस त्रैमास से संबंधित सबसे अच्छे / खराब करनिर्धारण आदेश मुख्यालय को त्रैमास की समाप्ति पर अगले माह की 15 तारीख के पूर्व अवश्य उपलब्ध कराएंगे। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमास से लागू माना जाये।

उक्तानुसार की गई कर निर्धारण आदेशों की समीक्षा के उपरान्त यदि कर निर्धारण कार्यवाही में कदाशयता के साथ Under assessment किए जाने के तथ्य प्रकाश में आते हैं, अत्यधिक राजस्व की क्षति अथवा महत्वपूर्ण विधिक बिन्दुओं की अवहेलना की गई हो तो ऐसे प्रकरणों को मुख्यालय प्रेषित करने का दायित्व भी जोनल एडीशनल कमिश्नर का होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का तद्नुसार अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

13/2

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर ,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।